Issued through Email only

सेवा मे,

सहायक शिुक्षता सलाहकार/प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्बाला शहर, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, गोडिया खेडा, कैथल, जीन्द, नारनौल, नूंह, पंचकुला, रिवाडी, कुरूक्षेत्र, झज्जर एट गुढा, पलवल, सिरसा, तथा यमुनानगर।

यादि कमाक:-**TA/NAPS/Promotion/2016/** 478 दिनांक:- 03.01.2017

विषय:– शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत जिले में विभिन्न राजकीय संस्थानों में नियुक्त कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी / शिक्षुता अनुदेशक को शिक्षुता सम्बन्धी कार्य करने की जिम्मेदारी देने बारे।

****

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कमाक **TA/NAPS/Promotion/2016/467** दिनांक 23.12. 2016 के संदर्भ में

संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सहायक शिक्षुता सलाहकार घोषित प्रधानाचार्य के संस्थान से अन्य संस्थानो में नियुक्त कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/शिक्षुता अनुदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू करने के लिए अपने जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार को सहयोग करेंगे। सहायक शिक्षुता सलाहकार अपने जिले में विभिन्न राजकीय संस्थानों में नियुक्त कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/शिक्षुता अनुदेशक को शिक्षुता सम्बन्धी कार्य करने में जिम्मेंदारी देगा। इस के लिए ये कर्मचारी अपने जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार को शिक्षुता सम्बन्धित कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से रिपोर्ट करेंगें। जिले का सहायक शिक्षुता सलाहकार इन कर्मचारियों को उनके निकटतम क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों के सर्वे एवं रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण, शिक्षु लगवाने, रिर्पोटस, फालोअप आदि का कार्य एवं इनके लक्ष्य देगा व की गई प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा/मॉनिटरिंग करेगा। इसके अतिरिक्त जिस संस्थान में कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी का पद रिक्त है तो उस संस्थान के प्रधानाचार्य अपने प्रतिष्ठान के वरिष्ठ वर्ग अनुदेशक को, कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार देंगे।

उपरोक्त के मद्देनजर आपको निर्देश दिए जाते है कि आप उपरोक्त अनुसार कार्य करें एवं अपने जिले के विभिन्न संस्थानों में नियुक्त कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी तथा शिक्षुता अनुदेशकों की सूचना निम्न प्रोर्फोमा में बनाकर निदेशालय को दिनांक 06.01.2017 तक भेजे।

संस्थान का नाम	कर्मचारी का नाम	पद का नाम	मोबाइल नं0	ई0मेल0 आई0डी0

उपरोक्त की दृढता से पालना की जाए।

उप शिक्षुता सलाहकार,
कृते: राज्य शिक्षुता सलाहकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
हरियाणा, चण्डीगढ।

पृ0 क0:– **TA/NAPS/Promotion/2016**/479 दिनांक:– 03.01.2017

उपरोक्त की एक प्रति हरियाणा राज्य में सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) को भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपने संस्थानों में कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी के रिक्त पदों के प्रति वरिष्ठ वर्ग अनुदेशकों की ड्यूटी लगाते हुए कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/शिक्षुता अनुदेशक की पूर्ण सूचना अपने जिले के सहायक शिुक्षता सलाहकार को दिनांक 04.01.2017 सायं तक भेजना सुनिश्चित करें।

उप शिक्षुता सलाहकार,
कृते: राज्य शिक्षुता सलाहकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
हरियाणा, चण्डीगढ।

CC: Nodal officer
Website at HQ.